एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 04 (जुलाई-अगस्त, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

परम्परागत कृषि विकास योजना

(*संस्करण स्वामी, विजेंद्र कुमार एवं डॉ मधु शर्मा)
[1]कृषि विस्तार एवं संचार विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान
[2]कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विभाग, महाराणा प्रताप औद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर
[3]कृषि अर्थशास्त्र विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान
*संवादी लेखक का ईमेल पता: sanskaranswami@gmail.com

पिछले कुछ वर्षों में रसायनिक खादों पर निर्भरता बढ़ने के बाद से जैविक खाद का इस्तेमाल नगण्य हो गया है।आज के समय में बढ़ते हुए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को देखते हुए जैविक खेती भारत में और भी महत्वपूर्ण बन गया है। दुनिया भर में जैविक खाद्य के लिए मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इन जैविक खेती की तकनीक को बढ़ावा मिलने से भारत इन खाद्य पदार्थों के विशाल निर्यात की संभावनाओं को साकार कर सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015–16 में परम्परागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गयी। इस योजना का उद्देश्य जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहन करना है। किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो और जमीन की उर्वर क्षमता भी कम न हो, उसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें बहुत सारी योजनाएं अभी तक लागू कर चुकी है। इन्हीं योजनाओं में से एक '**परम्परागत कृषि विकास योजना**' (PKVY) है। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा पोषित हैं।

जैविक खेती को बढ़ावा देने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। लेकिन ज्यादातर किसानों को इसे लेकर कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर जैविक खेती कैसे होगी? उसके लिए दस्तावेज कहां से मिलेगा और इसका बाजार क्या है? ऐसी खेती के लिए जरूरी चीजें कहां से मिलेंगी? इन सवालों का जवाब अब एक ही जगह मिलेगा। दरअसल सरकार ने किसानों की सुगमता के लिए जैविक खेती पोर्टल (https://www-jaivikkheti-in/) लॉन्च किया है, जिसकी मदद से किसान जैविक खेती से सबंधित सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015–16 से 2019–20 तक 1632 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) : "परम्परागत कृषि विकास योजना" सरकार ने आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। दरअसल, रासायनिक खेती की वजह से एक तरफ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर असर पड़ रहा है, वहीं मानव स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना वो योजना है जिसमें फसल उगाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते हैं। यह पहली व्यापक योजना है जिसे एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसपी) के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन प्रति 20 हैक्टेयर के कलस्टर आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कलस्टर के अंतर्गत किसानों को अधिकतम 1 हैक्टेयर तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और सहायता की सीमा 3 वर्षों के रूपांतरण की अवधि के दौरान प्रति हैक्टेयर 50,000 रूपये सरकार ने रखा है। 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 10,000 कलस्टरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

कैसे काम करेगी यह योजना

योजना के अंतर्गत एनजीओ के जरिए प्रत्येक क्लस्टर को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एक क्लस्टर पर कुल 14.35 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। पहले वर्ष में 6.80 लाख रुपये, दूसरे वर्ष में 4.81 लाख रुपये व तीसरे वर्ष में 2.72 लाख रुपये की मदद प्रत्येक क्लस्टर को दी जाएगी। इस योजना में किसानों को सीधे पैसा नहीं दिया जाएगा बल्कि जैविक ग्राम या जैविक समूह बनाकर किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। यह योजना सिंगल किसान की बजाय एक क्लस्टर यानी एक ग्रुप के लिए है। एक क्लस्टर में 50 एकड़ जमीन होगी तथा कम से कम 20 और अधिक से अधिक 50 किसान शामिल हो सकते हैं। इन रुपयों का इस्तेमाल किसानों को जैविक खेती के बारे में बताने के लिए होने वाली बैठक, एक्सपोजर विजिट, ट्रेनिंग सत्र, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मृदा परीक्षण, ऑर्गेनिक खेती व नर्सरी की जानकारी, लिक्विड बायोफर्टीलाइजर, लिक्विड बायो पेस्टीसाइड उपलब्ध कराने, नीम तेल, वर्मी कंपोस्ट और कृषि यंत्र आदि उपलब्ध कराने पर किया जाएगा। वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं उपयोग, बायोफर्टीलाइजर और बायोपेस्टीसाइड के बारे में प्रशिक्षण, उपयोग और उत्पादन पर प्रशिक्षण आदि इसके साथ ही जैविक खेती से पैदा होने वाले उत्पाद की पैकिंग व ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

स्कीम के घटक

पीकेवीआई योजना के अधीन प्रमाणीकरण और भागीदारिता गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। जीव विज्ञानीय नाइट्रोजन के उत्पादन के लिए किसानों को संगठित करने, जैविक बीजों के लिए विभिन्न उप घटकों पर कलस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें शामिल विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं :

- **किसानों को संगठित करना :** किसानों को प्रशिक्षण और किसानों द्वारा दौरा भ्रमण।
- **गुणवत्ताक नियंत्रण :** मृदा नमूना विश्लेषण, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण, कलस्टर सदस्यों के खेतों का निरीक्षण, अवशेष विश्लेषण, प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणीकरण प्रभार और प्रशासनिक व्यय।
- **रूपांतरण पद्धतियां :** जैविक कृषि के लिए चालू पद्धतियों से अंतरण जिसमें जैविक आदान, जैविक बीज और परम्परागत जैविक आदान उत्पादन यूनिट और जीव विज्ञानीय नाईट्रोजन, फसल रोपण आदि की खरीद शामिल है।
- **समेकित खाद प्रबंधन :** तरल जैव उर्वरक कन्सोर्टियाध्जैव कीट नाशी, नीम केक, फोस्फेट युक्त जैव खाद एवं वर्मी कम्पोस्ट की खरीद।
- **कस्ट्म हायरिंग केंद्र प्रभार :** एसएमएएम दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि उपकरणों को भाड़े पर लेना। लेबलिंग और पैकेजिंग सहायता एवं परिवहन सहायता।
- **जैविक मेलों** के माध्यम से विपणन।

पूर्वोत्तोर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

देश के पूर्वोत्तपर क्षेत्र में जैविक कृषि की संभावना को पहचानते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2015–16 से 2017–18 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा में कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना दृ 'पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन' की शुरूआत की है। तीन वर्षों के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय से स्कीम का अनुमोदन किया गया। इस स्कीम का लक्ष्य मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना है ताकि किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके और इनपुट, बीज प्रमाणीकरण से लेकर संकलन, समुच्चयन, प्रसंस्करण, विपणन व ब्रांड निर्माण पहल तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास में सहायता की जा सके।

पोर्टल पर कुल रजिस्ट्रेशन

देश में लगभग 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन जैविक खेती पोर्टल पर सिर्फ 2,10,327 ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा 7100 लोकल ग्रुप, 73 इनपुट सप्लायर, 889 जैविक प्रोडक्ट खरीदार और 2123 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं।

जैविक खेती का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है?

जैविक खेती प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन करना होता है। फीस देनी होती है। प्रमाण पत्र लेने से पहले मिट्टी, खाद, बीज, बुवाई, सिंचाई, कीटनाशक, कटाई, पैकिंग और भंडारण सहित हर कदम

पर जैविक सामग्री जरूरी है, यह साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई सभी सामग्री का रिकॉर्ड रखना होता है। इस रिकॉर्ड के प्रमाणिकता की जांच होती है। उसके बाद ही खेत व उपज को जैविक होने का सर्टिफिकेट मिलता है।इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद ही किसी उत्पाद को 'जैविक उत्पाद' की औपचारिक घोषणा के साथ बेचा जा सकता है।

आर्गेनिक स्टेट सिक्किम ने खुद को जनवरी 2016 में ही 100 फीसदी एग्रीकल्चर स्टेट घोषित कर दिया था। सिक्किम राज्य ने रासायनिक खादों और कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया। एपीडा (APEDA) के मुताबिक पूर्वोत्तर के इस छोटे से प्रदेश ने अपनी 76 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को प्रमाणिक तौर पर जैविक कृषि क्षेत्र में बदल दिया है।